संख्या - 2 (उ.प्र./नौ-2-2001-233/97-टी.सी.-11)

प्रेषक,

सुधीर कुमार श्रीवास्तव,
विधि सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर प्रमुख, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

नगर विशेष अनुभाग - 9

लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2001

विषय : नगर स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जा रही लाइसेंसिग शुल्क की दरों में वृद्धि।

महोदय,

उपरोक्त विदयक निर्गत शासनादेश संख्या - 16 (सी.एम./नौ-9-97-23/97 दिनांक 16.12.97 का कृपया संदर्भ ग्रहण कर जिसके द्वारा स्थानीय निकायों में कुल 39 मदों पर लाइसेंसिग शुल्क आरोपित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम - 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम - 1916 की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार नगर स्थानीय निकायों द्वारा नर्सिंग होम्स/प्राइवेट क्लीनिक पर लगाये जा रहे लाइसेंसिग शुल्क, भवन कर के अतिरिक्त भूमि-उपयोग परिवर्तन, कम्पाउण्डिंग, कचरे का निस्तारण, प्राइवेट मेडिकल अधिष्ठान की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने/अनुमति प्रदान करने तथा प्लान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति देने हेतु नगर विकास अनुभाग-1 के कार्यालय शाप संख्या - 1970/नौ.-9-2000-2 गज./97-टी.सी. दिनांक 9.6.2000 द्वारा समिति गठित की गयी है जिनकी संस्तुतियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अत: इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 16.12.97 द्वारा नर्सिंग होम पर लगाये गये लाइसेंस शुल्क की वसूली अग्रेतर आदेश तक स्थगित रहने का निर्णय लिया गया है।

3. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
(सुधीर कुमार श्रीवास्तव)
विधि/विशेष सचिव

## REPEAT ORDER

संख्या - 548/नौ-9-2006-23ज./97-टी.सी.-11

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रशानिक/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग - 9

लखनऊ : दिनांक : 16फरवरी, 2006

विषय : नगर निकायों द्वारा लगायी जा रही लाइसेंसिग शुल्क की दरों में वृद्धि।

महोदय,

उपरोक्त विदयक शासनादेश संख्या - 213 एम./नौ-9-2001-2001-23 ज./97 टी.सी.-11 दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 के माध्यम से नर्सिंग होम पर लगाये गये लाइसेंस शुल्क की वसूली अग्रेसर आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया था, का अनुपालन निकायों द्वारा नहीं किया जा रहा है। शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि उत्तर के सम्बन्ध में आ.सी. भी नोटिस जारी कर प्रशासित किया जा रहा है। जबकि दिनांक 24.12.2001 के शासनादेश के अनुसार शुल्क की वसूली अग्रेसर आदेशों तक स्थगित रखने के आदेश किये गये थे।

2. अत: इस सम्बन्ध में किसी को भी प्रताड़ित करने की कार्यवाही तत्काल रोकी जाये।

भवदीय
(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव